मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2014-आषाढ़ 6, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE IN NAME

I, Rajan Mathew here by declare. That I have change my name as Rajan PM. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name : **(RAJAN MATHEW)**

New Name : **(RAJAN PM.)**

Add:— F/15, Rajat Jayanti Complex,
Behind Canera Bank, Scheme No. 54,
Vijay Nagar, Indore, (M.P.).

(137-B.)

CHANGE IN NAME

I, Jessy Mathew here by declare. That I have change my name as Eethamma Mathew. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name : **(JESSY MATHEW)**

New Name : **(EETHAMMA MATHEW)**

Add:— F/15, Rajat Jayanti Complex,
Behind Canera Bank, Scheme No. 54,
Vijay Nagar, Indore, (M.P.).

(138-B.)

CHANGE OF NAME

I, Vaijanti has change my name to after marriage Renu Satwani. I should be recognised by this name in future.

Old Name : **(VAIJANTI)**

New Name : **(RENU SATWANI)**

Add:— Flat No.201, 197M,
Khatiwala Tank, Indore, (M.P.).

(139-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, विवाह पूर्व मेरा नाम कौशल्या चौरसिया पुत्री श्री शंकरलाल चौरसिया था तथा मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं विवाह पूर्व के समस्त शासकीय अभिलेखों में यही नाम दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 30 जून, 1989 को हुआ है, विवाह पश्चात् मेरा नाम नेहा चौरसिया पत्नी श्री संजय चौरसिया हो गया है तथा मैं इसी नाम से जानी, पहचानी जाती हूँ तथा पुकारी जाती हूँ. विवाह पश्चात् के मेरे समस्त शासकीय दस्तावेज पेनकार्ड, परिचय-पत्र, आधार कार्ड आदि में यही नाम दर्ज है तथा मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :
(कौशल्या चौरसिया)
पुत्री श्री शंकरलाल चौरसिया.

नया नाम :
(नेहा चौरसिया)
पत्नी श्री संजय चौरसिया,
निवासी-विपिन नगर, वार्ड नं.29,
इटारसी, जिला होशंगावाद (म.प्र.).

(143-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कविता परसराम मूलचन्दानी था. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर श्रीमति रागिनी मोटवानी पत्नि श्री अमित मोटवानी हो गया है. आगे भविष्य में समस्त कार्य में इसी नाम से जाना जाय.

पुराना नाम :
(कविता परसराम मूलचंदानी)

नया नाम :
(रागिनी मोटवानी)
पत्नी श्री अमित मोटवानी.

(144-बी.)

CHANGE OF NAME

I, here by declared that, I am changing my name as Janna Tun Nisha Ahmed to Nisha Ahmad Now & after that, Henceforth my name be known & written as Nisha Ahmad.

Old Name :
(JANNA TUN NISHA AHMED)

New Name :
(NISHA AHMAD)
152/7, Berchha Road,
Mhow, Indore (M.P.).

(147-B.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रेवती देवी पति रघुवीर सिंह रावत था जिसे मैंने अपने सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) के बाद बदलकर सोनाली सेन कर लिया है. अत: भविष्य में मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में सोनाली सेन के नाम से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(रेवती देवी)

नया नाम :
(सोनाली सेन)
1/5, पुलिस लाईन, ओल्ड सिविल कोर्ट,
शांहजहांनाबाद भोपाल (मध्यप्रदेश).

(149-बी.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स यूनिसाल्व पेस्टीसाइडस विदिशा, जिसकी भागीदारी दिनांक 28 जून, 1993 को हुई थी जिसमें से पूर्ण भागीदार श्री अरूण श्रीवास्तव, पिता श्री एस. एन. श्रीवास्तव एवम् भागीदार श्री कैलाशनारायण शर्मा, पिता श्री भैयालाल जी फर्म से दिनांक 20 सितम्बर, 1996 को निकल गये हैं एवं फर्म में दिनांक 20 सितम्बर, 1996 से नये भागीदार श्री दीपक कुमार, पिता स्व. श्री वी. एल. कुमार, निवासी स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा शामिल हो रहे हैं एवं सूचित किया जाता है कि मेसर्स यूनिसाल्व पेस्टीसाइडस विदिशा, जिसकी परिवर्तन भागीदारी दिनांक 20 सितम्बर, 1996 को हुई थी जिसके पूर्ण भागीदार श्री गोविन्द देवलिया, S/o श्री बी. एन. देवलिया एवम् भागीदार श्री के. के. अग्रवाल, S/o श्री एम. एल. अग्रवाल, विदिशा फर्म से दिनांक 28 जून, 1996 को अलग हो गये हैं. एवं फर्म में दिनांक 28 जून, 1996 से नये भागीदार श्री कपिल कुमार S/o श्री एस. पी. कुमार, विदिशा एवम् भागीदार श्रीमती चंचल कुमार S/o एस. जी. कुमार, विदिशा शामिल हो गये हैं.

शैलेश साहू (कर सलाहकार)
फ्लाट नं. 21, जोन-1, एम. पी. नगर,
भोपाल (मध्यप्रदेश).

(141-बी.)

सूचना

उद्‌यन गैस कम्पनी जो कि पार्टनरशिप फर्म है, दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है. इस फर्म में एच. पी. सी. एल. की गैस एजेन्सी है. श्रीमति सुधा तिवारी एवं श्रीमति नुपुर ठाकुर पार्टनर हैं. दिनांक 07 मार्च, 2014 को श्रीमति सुधा तिवारी का स्वर्गवास हो गया. श्रीमति नुपुर ठाकुर प्रोपराइटर की हैसियत से फर्म का संचालन कर रही है.

नुपुर ठाकुर,
उद्‌यन गैस कम्पनी,
रांझी, जबलपुर (मध्यप्रदेश).

(142-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मे. दिया कन्स्ट्रक्शन जिसका पता कृष्ण वाटिका प्लाट नं. 2133, सेक्टर डी सुदामा नगर फूटी कोठी रिंग रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00179/09, एक भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदार — 1. श्री कौशिक पटोलिया (पटेल) पिता श्री वालजी भाई पटोलिया (पटेल), निवासी-इन्दौर मध्यप्रदेश. 2. श्री यतिन पटोलिया (पटेल) पिता श्री मनसुख भाई पटोलिया (पटेल), निवासी-इन्दौर मध्यप्रदेश. 3. श्री पवन कुमार जैन (मोदी) पिता श्री खेमचन्द जैन (मोदी), निवासी-इन्दौर मध्यप्रदेश थे. जिनमें से एक भागीदार श्री पवन कुमार जैन (मोदी) पिता श्री खेमचन्द जैन (मोदी), निवासी-इन्दौर मध्यप्रदेश ने दिनांक 31 मार्च, 2013 को उक्त भागीदारी फर्म से अवकाश गृहण कर फर्म से पूर्ण रूप से अलग हो गये हैं अब इनका उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है. अब उनके स्थान पर श्री राजेश अग्रवाल पिता श्री कल्याणमल अग्रवाल, निवासी-इन्दौर मध्यप्रदेश को उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया है. अब इस फर्म का संचालन दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से 1. श्री कौशिक पटोलिया (पटेल) पिता श्री वालजी भाई पटोलिया (पटेल), निवासी-इन्दौर मध्यप्रदेश एवं 2. श्री यतिन पटोलिया (पटेल) पिता श्री मनसुख भाई पटोलिया (पटेल) निवासी-इन्दौर मध्यप्रदेश एवं 3. श्री राजेश अग्रवाल पिता श्री कल्याणमल अग्रवाल, निवासी-इन्दौर मध्यप्रदेश कर रहे है.

मेसर्स दिया कन्स्ट्रक्शन,

1. श्री कौशिक पटोलिया, पिता श्री वालजी भाई पटोलिया (पटेल).
2. श्री यतिन पटोलिया (पटेल) पिता श्री मनसुख भाई पटोलिया (पटेल).
3. श्री राजेश अग्रवाल पिता श्री कल्याणमल अग्रवाल - भागीदार.

(145-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मे. किसान एक्स्प्लोजिव्हस एजेंसी, जिसका पता कृष्ण वाटिका प्लाट नं. 2133, सेक्टर डी, सुदामा नगर फूटी कोठी रिंग रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00191/09, एक भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदार — 1. सविता बेन पति स्व. श्री वालजी भाई, निवासी—गोंडल गुजरात, 2. श्री कौशिक कुमार पटोलिया (पटेल) पिता श्री वालजी भाई पटोलिया (पटेल), निवासी—इन्दौर मध्यप्रदेश, 3. श्रीमती हेतल बेन कौशिक कुमार पटोलिया (पटेल), निवासी—इन्दौर मध्यप्रदेश, 4. श्री पुरषोत्तमभाई रावजी भाई पटोदिया (पटेल), निवासी—गोंडल गुजरात, 5. श्री रमेश कुमार वालजी भाई पटोलिया (पटेल), निवासी—इन्दौर मध्यप्रदेश थे. जिनमें से तीन भागीदार 1. सविता बेन पति स्व. श्री वालजी भाई, निवासी—गोंडल गुजरात, 2. श्रीमती हेतल बेन कौशिक कुमार पटोलिया (पटेल), निवासी—इन्दौर मध्यप्रदेश एवं 3. श्री पुरषोत्तमभाई रावजी भाई पटोदिया (पटेल), निवासी—गोंडल गुजरात ने दिनांक 01 अप्रैल, 2011 को उक्त भागीदारी फर्म से अवकाश गृहण कर फर्म से पूर्ण रूप से अलग हो गये हैं. अब इन सभी का उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है. अब इस फर्म का संचालन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 1. श्री कौशिक कुमार पटोलिया (पटेल) पिता श्री वालजी भाई पटोलिया (पटेल), निवासी—इन्दौर मध्यप्रदेश एवं 2. श्री रमेश कुमार वालजी भाई पटोलिया (पटेल), निवासी—इन्दौर मध्यप्रदेश कर रहे हैं.

मेसर्स किसान एक्स्प्लोजिव्हस एजेंसी,

1. श्री कौशिक कुमार पिता श्री वालजी भाई पटोलिया (पटेल).
2. श्री रमेश कुमार वालजी भाई पटोलिया (पटेल)- भागीदार.

(146-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी साझेदारी फर्म ''मै. अमरदीप बिल्डर्स, ई. सी.-2, स्कीम नं. 94, अमर पॉइन्ट बिल्डिंग, इन्दौर (मध्यप्रदेश) के पते पर श्रीमती रामप्यारी पति श्री आशाराम अग्रवाल, श्री पवन कुमार पिता श्री आशाराम अग्रवाल एवं श्रीमती राधिका पति श्री पवन अग्रवाल की साझेदारी में संचालित की जा रही थी. उक्त फर्म में दिनांक 23 मार्च, 2010 से पाँच नए साझेदारों को शामिल किया गया है,

जिनके नाम श्री ओमप्रकाश पिता स्व. श्री भोलारामजी अग्रवाल, श्री विक्रम पिता श्री आशारामजी अग्रवाल, श्रीमती मोना पति श्री विक्रम अग्रवाल, श्री पंकज पिता श्री राधेश्यामजी अग्रवाल एवं श्री प्रदीप पिता श्री राधेश्यामजी अग्रवाल हैं. इन नए साझेदारों को शामिल करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो, तो इसकी सूचना, प्रकाशन दिनांक से 15 दिनों के अन्दर देवें.

पवन कुमार अग्रवाल,
(साझेदार),
मे. अमरदीप बिल्डर्स,
ई. सी.-2, स्कीम नं. 94, अमर पॉइन्ट
बिल्डिंग, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(148-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. मॉडर्न मोटर्स मुरैना, भागीदारी फर्म से, भागीदार श्रीमती भगवान देवी अग्रवाल एवं श्री अशोक अग्रवाल स्वेच्छा से दिनांक 02 अप्रैल, 2014 से पृथक् हो गए हैं. अब इस फर्म के एकमात्र मालिक श्री अनिल अग्रवाल हैं. सर्व-साधारण सूचित हों.

(भगवान देवी अग्रवाल),
(अशोक अग्रवाल),
(अनिल अग्रवाल),
(भागीदार).

(150-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कांचरी कंस्ट्रक्शन स्थित ग्राम कांचरी, पो. ढाना (नरयावली) जिला सागर में दिनांक 03 मार्च, 2014 से भागीदार श्री राहुल बोहरे पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बोहरे, निवासी 73-ए, आनंद नगर, नव गृह मंदिर के पीछे, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

सुनील कुमार मिश्रा,
फर्म-कांचरी कन्सट्रक्शन,
कांचरी, पो. ढाना (नरयावली) जिला सागर (म.प्र.)
द्वारा-हेमंत सिरसट (कर सलाहकार)
सौमानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(151-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अमरनाथ रीयल स्टेट स्थित म. नं. 38, शान्ती प्रकाशन, सदर बाजार, ग्वालियर, ग्वालियर में दिनांक 28 मार्च, 2014 को भागीदार (1) राम कुमार गांगिल पुत्र श्री हजारीलाल गांगिल, निवासी सदर बाजार, मुरार ग्वालियर, (2) श्री अविनाश यादव पुत्र श्री प्यारेलाल यादव, निवासी बैजल कोठी, मुरार, ग्वालियर, (3) प्रमोद मालू पुत्र श्री जी. एल. मालू, निवासी गोला का मंदिर, ग्वालियर, (4) प्रेम कुमार गांगिल, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल गांगिल, निवासी सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर, (5) विजय कुमार गांगिल, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल गांगिल, निवासी सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से श्रीमती प्रिया रैली पत्नी श्री गौतम राय रैली, निवासी मं. नं. 38, शान्ती प्रकाशन, सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गयी हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

गौतम राय रैली,
फर्म-अमरनाथ रीयल स्टेट,
38, शान्ती प्रकाशन, सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)
द्वारा-आर. के. त्रिपाठी, (सी. ए.)
भागवत का बाड़ा, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(152-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 11 जून, 2014

प्र. क्र. /बी-113/2013-14.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक श्री आनंदशंकर पिता स्व. संकर्षणजी व्यास, निवासी-आनंद भवन, उज्जैन आदि ने श्री गोपाल कृष्ण सेवा ट्रस्ट, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 जून, 2014 को प्रात: 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 24 जून, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	श्री गोपाल कृष्ण सेवा ट्रस्ट, उज्जैन.
कार्यालय	..	121, जवाहर मार्ग, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	उज्जैन विकास प्राधिकरण की बुधवारिया हाट योजना में योजना के भूखण्ड क्र.36 क्रय दिनांक 03 अगस्त, 2000 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति के आधार पर.
चल सम्पत्ति	..	ट्रस्ट के पास बचत खाते में 70,000/- रुपये एवं एफ. डी. खाते में 8,00,000/- रुपये आवेदन-पत्र अनुसार जमा हैं.

शैलेन्द्रसिंह सोलंकी,
पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

(510)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, शाजापुर

प्र. क्र. /बी-113/2013-14.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष.

चूंकि श्रीमती अनुराधा नागर, पति श्री अभय कुमार नागर, नागनागनी रोड, शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर मध्यप्रदेश द्वारा महाशक्ति

परमार्थ ट्रस्ट शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है. सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जो कि व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट "अ"

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण .. नगदी राशि रुपये निरंक.

परिशिष्ट "ब"

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण .. निरंक.

लक्ष्मी गामड़,
अनुविभागीय अधिकारी.

(511)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बीना, जिला सागर

बीना, दिनांक 10 जून, 2014

प्रारूप-5

[देखें नियम क्रमांक-5 का]

[धारा-6 (2) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 का क्रमांक 30 एवं नियम-5 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के अनुसार]

समक्ष : पंजीयक, कार्यालय सार्वजनिक न्यास, बीना, तहसील बीना, जिला सागर (म.प्र.).

चूंकि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे तालिका में दर्शाई सम्पत्ति मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-04 में दी परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक न्यास को सार्वजनिक न्यास रूप में "श्री नेमिनाथ दिगम्बर जैन तीर्थ न्यास, ग्राम-हिन्नौद, तहसील बीना" के नाम से पंजीयन चाहते हैं.

अत: मैं, डॉ. जे. विजय कुमार, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) इस सम्बन्ध में पाँच-5 की उपधारा के अनुसार दिनांक 04 जुलाई, 2014 को प्रस्तावित करता हूँ.

अतएव इस सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में रुचि रखते हुए, कोई आपत्ति पेश करना चाहते हों वे एक माह के भीतर दो प्रतियों में आपत्ति पेश कर सकते हैं एवं आपत्ति दिनांक को मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हों.

उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जायेगा.

तालिका

नाम न्यास	..	सार्वजनिक न्यास श्री नेमिनाथ दिगम्बर जैन तीर्थ न्यास, ग्राम-हिन्नौद, तहसील बीना.
न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण	..	अ-चल सम्पत्ति मात्र 2,100/- रुपया नकदी.
		ब-अचल सम्पत्ति में ग्राम हिन्नौद स्थित भूमि ख.नं. 78, रकबा 2.78 हैक्टेयर. है.

जे. विजय कुमार,
पंजीयक.

(512)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट होशंगाबाद

प्र. क्र. 01-/बी/113(1)/2013-14

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1963 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवदेक " सोल फाउण्डेशन" द्वारा पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	..	" सोल फाउण्डेशन"
पता	..	सच्चिानंद भवन, ग्राउण्ड फ्लोर, 1-इंद्रप्रस्थ, सिविल लाईन, होशंगाबाद
अचल सम्पत्ति	..	निरंक
चल सम्पत्ति	..	न्यास के पास रुपये 5,000.00 प्रारम्भिक नगद राशि.

आज दिनांक 07 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

राजेश शाही,
अनुविभागीय अधिकारी.

(513)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1177.—चूँकि आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा ज्ञाप क्रमांक 222, दिनांक 07 सितम्बर, 2013 से सहकारी अधिनियम के तहत् प्रभावित संस्था भारतीय साख सहकारिता मर्यादित, इन्दौर का पारिणामिक संस्था नन्दानगर साख सहकारिता मर्यादित, इन्दौर में संविलियन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वयमेव पंजीकरण के आधार पर उपरोक्त सहकारिताओं को दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को संसाधन वर्ग की प्राथमिक साख सहकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत किया गया है.

और चूँकि प्रभावित संस्था द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2006 को पारित किये गये संविलियन के मूल विनिश्चय के अनुसार जिसे आवश्यक परीक्षण के उपरान्त पारिणामिक संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है, प्रभावित संस्था के सदस्यों की अमानत राशियों की वापसी एवं देनदारियों के दायित्व सहित प्रभावित संस्था की आस्तियां, पारिणामिक संस्था को अन्तरित की जाना है तथा दिनांक 31 मार्च, 2013 पर अंकेक्षित विवरण के अनुसार रु. 712.30 लाख की वापसी योग्य सदस्य अमानत राशि सहित दायित्व पक्ष में रु. 1437.24 लाख की कुल देनदारियाँ दर्शाई गई है और आस्तियों के रूप में रु. 346.46 लाख पुस्त मूल्य की स्थायी सम्पत्ति के अलावा कालातीत बकाया ऋण रु. 727.35 लाख एवं विनियोजन रु. 302.85 लाख वसूली हेतु शेष होकर राशि रु. 1391.10 लाख की कुल लेनदारी है तथा प्रभावित संस्था रु. 46.14 लाख की संचित हानि में है. तद्नुसार उपरोक्त आस्तियों एवं दायित्वों के अन्तरण से प्रभावित संस्था का समान वर्ग की पारिणामिक संस्था में संविलियन होने पर ऐसा विकल्प देने वाले उसके सदस्य पारिणामिक संस्था के सदस्य होंगे तथा प्रभावित संस्था का पंजीयन निरस्त हो जावेगा.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (12) के अनुसार प्रस्तावित संविलियन/पुनगर्ठन का विवरण उपरोक्तानुसार प्रकाशित किया जाता है.

सलिल कटारे,
संयुक्त पंजीयक.

(526)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मलसार

दिनांक 25 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.—दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., मलसार, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 27 अगस्त, 2000 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./1356, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाये अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(515)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमलाथा

दिनांक 25 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.—दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., अमलाथा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1473, दिनांक 13 जनवरी, 2006 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./1344, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(515-A)

कार्यालय परिसमापक, इंदिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, कसरावद

दिनांक 18 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.—इंदिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1242, दिनांक 03 फरवरी, 2000 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./1133, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

आर. आर. भट्ट,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(515-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

क्र./परि./12/2484.—कमला प्राथ. उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवास जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./933, दिनांक 16 मार्च, 2001 है तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. एस. तिवारी, उप-अंकेक्षक को आदेश क्रमांक 1274, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक .... आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का आस्तित्व बना रहना उचित है, एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमला प्राथ. उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवास, तहसील देवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए, इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(516)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2014/1017.— निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कालम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,पटनिया.	716/20-11-2009	458/26-03-2013	श्री एम. एल. चौकसे, सहकारी निरीक्षक.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मछेरा.	678/22-03-2006	458/26-03-2013	श्री एम. एल. चौकसे, सहकारी निरीक्षक.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लावाघोघरी.	677/22-03-2006	458/26-03-2013	श्री एम. एल. चौकसे, सहकारी निरीक्षक.
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांवनाराजी.	694/04-10-2007	458/26-03-2013	श्री एम. एल. चौकसे, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि, कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-रजिस्ट्रार.

(517)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 24 45, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा क्षिप्रा तकनीकी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1477, दिनांक 02 फरवरी, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1203.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 271, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा जिझोतिया समाज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 334, दिनांक 03 मई, 1972 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-A)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1205.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्यानाथ, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 601, दिनांक 16 दिसम्बर, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-B)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1206.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1308, दिनांक 18 अगस्त, 2011 द्वारा पार्श्वनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1590, दिनांक 09 मई, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-C)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1207.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 261, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा रामी जनहित साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 367, दिनांक 11 फरवरी, 1974 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-D)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1208.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1048, दिनांक 09 मई, 2013 द्वारा बीड़ी मजदूर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1370, दिनांक 17 नवम्बर, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-E)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1209.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 521, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा डाकतार उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 185, दिनांक 13 मार्च, 1963 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-F)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1210.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 24 अप्रैल, 2009 द्वारा वसूधरा साख सहकारिता मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 83, दिनांक 30 मई, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-G)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1211.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 24 अप्रैल, 2009 द्वारा हितेशी साख सहकारिता मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 68, दिनांक 30 जनवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-H)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1212.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 24 अप्रैल, 2009 द्वारा धनलक्ष्मी साख सहकारिता मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 82, दिनांक 08 मई, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(518-I)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/1213.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा जीतु मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा आंजना, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1664, दिनांक 03 मार्च, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अभय निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(518-J)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद द्वारा निम्नलिखित

सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम सहकारी संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ बीजासेन स्वायत्त साख सहकारिता, रांखेडी	81/03-06-2006	1057/10-09-2013
2.	शहीद भगतसिंह स्वायत्त साख सहकारिता, पचमढ़ी	87/21-02-2007	1057/10-09-2013
3.	राजीव गांधी स्वायत्त साख सहकारिता, पिपरिया	89/13-03-2007	1057/10-09-2013
4.	मीनाक्षी महिला स्वायत्त साख सहकारिता, मटकुली	04/28-02-2002	1057/10-09-2013
5.	महिला स्वायत्त साख सहकारिता, कुमहावत	27/20-03-2003	1057/10-09-2013
6.	आदर्श महिला स्वायत्त साख सहकारिता, मटकुली	36/17-07-2003	1057/10-09-2013
7.	दुर्गा महिला स्वायत्त साख सहकारिता, सिलारी	39/17-07-2003	1057/10-09-2013
8.	सांई पौध बीज क्रय-विक्रय सह. समिति, सेमरीखुर्द	3053/03-09-2010	705/29-03-2014
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांवलखेडा	2948/12-11-2007	709/29-03-2014
10.	माँ रेवा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भमेडी	2967/17-06-2008	707/29-03-2014
11.	श्रीसांई बीज क्रय विक्रय सहकारी समिति, रोहना	2731/10-04-2001	703/29-03-2014

अत: मैं, डी. पी. पाल, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (17 वां) सन् 1961 की धारा-71 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं समितियों के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित निधान एवं नियमों के अन्तर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से सम्बन्धित कोई भी कागजात, सामान देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

डी. पी. पाल,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(519)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
व्ही. एस. टी. पी. पी. कर्म. सहकारी उप. भण्डार
मर्यादित, विंध्यनगर.
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/167.—व्ही. एस. टी. पी. पी. कर्म. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, विंध्यनगर, पंजीयन क्रमांक 454, दिनांक 18 अक्टूबर, 1989 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.

2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.

3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.

4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.

7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.

8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.

9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.

10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.

11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला सहकारी उप. भण्डार मर्या., बरगवां,
तहसील देवास, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/167.—महिला सहकारी उप. भण्डार मर्या., बरगवां, पंजीयन क्रमांक 758, दिनांक 02 जनवरी, 1998 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.

2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.

3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.

4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.

7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.

8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.

9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.

10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.

11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-A)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
शारदा प्राथमिक महिला सहकारी उप. भण्डार कचनी,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/169.—शारदा प्राथमिक महिला सहकारी उप. भण्डार कचनी, पंजीयन क्रमांक 764, दिनांक 09 सितम्बर, 1998 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-B)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दुधमनिया,
तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/170.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दुधमनिया, पंजीयन क्रमांक 826, दिनांक 27 जुलाई, 2001 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-C)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वेलहता,
तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/170.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वेलहता, पंजीयन क्रमांक 788, दिनांक 29 सितम्बर, 2000 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.

3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-D)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गोड़गवां,
तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/172.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गोड़गवां, पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 19 जुलाई, 2002 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-E)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुम्हिया,

तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/173.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुम्हिया, पंजीयन क्रमांक 815, दिनांक 07 अगस्त, 2002 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-F)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खटाई,
तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/174.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खटाई, पंजीयन क्रमांक 885, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-G)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., काम,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/175.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., काम, पंजीयन क्रमांक 891, दिनांक 18 फरवरी, 2003 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.

3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-H)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दार,
तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/176.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दार, पंजीयन क्रमांक 898, दिनांक 04 मार्च, 2003 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-I)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पुरानी देवसर,

तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/177.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवसर, पंजीयन क्रमांक 919, दिनांक 04 अगस्त, 2003 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-J)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमिलिया,

तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/178.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमिलिया, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 12 नवम्बर, 2003 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-K)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नौगढ़,

तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/179.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नौगढ़, पंजीयन क्रमांक 928, दिनांक 12 नवम्बर, 2003 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.

2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-L)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झलरी,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/180.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झलरी, पंजीयन क्रमांक 929, दिनांक 12 नवम्बर, 2003 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.

9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.

10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.

11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-M)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हर्दी,

तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/181.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हर्दी, पंजीयन क्रमांक 930, दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.

2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.

3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.

4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.

7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.

8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.

9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.

10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.

11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये

मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-N)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रम्पा,

तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/182.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रम्पा, पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 27 जुलाई, 2004 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-O)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पोड़ी नौगई,

तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/183.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पोड़ी नौगई, पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 29 अगस्त, 2004 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-P)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बगढराकला,

तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/184.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बगढराकला, पंजीयन क्रमांक 1000, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 को

निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-Q)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., माड़ा,

तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/185.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., माड़ा, पंजीयन क्रमांक 1041, दिनांक 15 फरवरी, 2007 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.

7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.

8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.

9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.

10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.

11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-R)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सह. स. मर्या., पढ़री खूंटा टोला,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/186.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पढ़री खूंटा टोला, पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 27 जून, 2007 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-S)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सह. स. मर्या., बेतरिया,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/187.—आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बेतरिया, पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-T)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
आदर्श महिला बहुउद्देशीय सह. स. मर्या., बर्दी,
तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/188.—आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बर्दी, पंजीयन क्रमांक 1065, दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 26 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-U)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., रजबांध,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/189.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रजबांध, पंजीयन क्रमांक 1068, दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.

2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजीं रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 26 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-V)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
आदिवासी मछुआ सह. समिति मर्या., बरका,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/190.—आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, बरका, पंजीयन क्रमांक 645, दिनांक 28 अक्टूबर, 1993 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.

11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 26 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-W)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
बुनकर सह. समिति मर्या., हर्रा चंदेल,
तहसील . . . . .जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/191.—बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, हर्रा चंदेल, पंजीयन क्रमांक 703, दिनांक 3 फरवरी, 1995 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 26 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-X)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
साक्षरता दरी बुनकर सह. समिति मर्या., बसाही,
तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/192.—साक्षरता दरी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, बसाही, पंजीयन क्रमांक 765, दिनांक 7 दिसम्बर, 1998 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 26 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-Y)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
अरुण भू-विस्थापित कामगार सह. समिति मर्या., चुड़चुड़िया,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/193.—अरुण भू-विस्थापित कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, चुड़चुड़िया, पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 24 सितम्बर, 1997 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.

2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 26 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(520-Z)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
विस्थापित बेरोजगार श्रम सह. समिति मर्या., गहिलगढ़ (पूर्व टोला),
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/194.—विस्थापित बेरोजगार श्रम सहकारी संस्था मर्यादित, गहिलगढ़ (पूर्व टोला), पंजीयन क्रमांक 745, दिनांक 24 सितम्बर, 1997 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.

11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 26 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(521)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., खेखड़ा (जोवेगढ़),
तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/195.—क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, खेखड़ा (जोवेगढ़), पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 4 अप्रैल, 2005 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(521-A)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., पचोर,
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/196.—क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, पचोर, पंजीयन क्रमांक 997, दिनांक 6 अप्रैल, 2005 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(521-B)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
शारदा क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., कचनी,
तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/197.—शारदा क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, कचनी, पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 14 जुलाई, 2005 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.

2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(521-C)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,
विंध्य परिवहन सह. समिति मर्या., नवानगर (निगाडी),
तहसील एवं जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/198.—विंध्य परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित, नवानगर (निगाडी), पंजीयन क्रमांक 1029, दिनांक 26 अप्रैल, 2006 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.

11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(521-D)

सिंगरौली, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष,

आदर्श शिव महिला क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., सरसबाह,

तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश).

विषय:- परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र.

क्र./परि./2014/199.—आदर्श शिव महिला क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, सरसबाह, पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 14 जुलाई, 2005 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसकी पूर्ति करने में वह विफल है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया गया है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि करने में असफल रही है.
8. सहकारी उपभोक्ता भण्डार निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 250 एवं अंशपूंजी रुपये 25,000.00 की पूर्ति करने में विफल रहा है.
9. संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
10. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत् अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है.
11. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसाइटीज जिला सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे. उक्त सम्बन्ध में आप दिनांक 28 मार्च, 2014 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियत तिथि को प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

रमेश प्रसाद पाल,
उप-रजिस्ट्रार.

(521-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/291.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा कृष्णा को-ऑप. एग्रो सर्विस सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./07, दिनांक 6 सितम्बर, 2011 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये कृष्णा को-ऑप. एग्रो सर्विस सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/292.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा धनलक्ष्मी काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1746, दिनांक 1 जनवरी, 2000 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये धनलक्ष्मी काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-A)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/293.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ नवदुर्गा काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1794, दिनांक 28 अगस्त, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ नवदुर्गा काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-B)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/294.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा विकास काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1620, दिनांक . . . . को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये विकास काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-C)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/295.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्लस श्रमिक सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./24, दिनांक 7 फरवरी, 2013को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्लस श्रमिक सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-D)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/296.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा गणेश फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., बोरीबुजर्ग, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा

सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये गणेश फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., बोरीबुजर्ग को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-E)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/297.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा वाघेश्वरी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., पुरा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2018, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये वाधेश्वरी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., पुरा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-F)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/298.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा शिवाबाबा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., गम्भीरपुरा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2019, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शिवाबाबा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., गम्भीरपुरा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-G)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/299.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ भगवती फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., अम्बा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ भगवती फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., अम्बा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-H)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/300.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., महलगुराडा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख

किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., महलगुराडा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-I)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/301.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., नसीराबाद, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2022, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., नसीराबाद को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-J)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/302.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा पवन पुत्र हनुमान फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., चिखल्यॉं, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2023, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये पवन पुत्र हनुमान फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., चिखल्यॉं को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-K)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/303.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा आशादेवी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., धुलकोट, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2024, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आशादेवी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., धुलकोट को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-L)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/305.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., निम्बोला, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2026, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया

गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., निम्बोला को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-M)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/307.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा चामुण्डा देवी फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., धुलकोट, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2062, दिनांक 4 अगस्त, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चामुण्डा देवी फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., धुलकोट को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-N)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/308.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा शिवशक्ति फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., दवाटिया, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2015, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शिवशक्ति फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., दवाटिया को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-O)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/309.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रेरणा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैनाबाद, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1846, दिनांक 18 मार्च, 2002 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्रेरणा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैनाबाद को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-P)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/310.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा नर्मदा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झिरपांजरिया, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1888, दिनांक 8 जुलाई, 2003 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झिरपांजरिया को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-Q)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/311.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री ईच्छा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ईच्छापुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1918, दिनांक 31 मई, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री ईच्छा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ईच्छापुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-R)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/312.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चिचांला, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1924, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चिचांला को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-S)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/313.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ संतोषी आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दहीनाला, पंजीयन क्रमांक डी आर./के.डब्ल्यू.ए./1927, दिनांक 9 सितम्बर, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ संतोषी आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दहीनाला को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-T)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/314.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रसुन्न महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बोरगांवखुर्द, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1857, दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्रसुन्न महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बोरगांवखुर्द को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-U)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/315.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ हरसिद्धी आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दवाटीयाँ, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1932, दिनांक 27 नवम्बर, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ हरसिद्धी आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दवाठीयाँ को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-V)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/316.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा मनिषा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रायगांव, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1899, दिनांक 5 फरवरी, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मनिषा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रायगांव को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-W)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/317.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा रिद्धी-सिद्धी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1152, दिनांक 6 मार्च, 1975 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये रिद्धी-सिद्धी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-X)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/318.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा भारत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1315, दिनांक 17 दिसम्बर, 1989 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये भारत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-Y)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/319.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारक सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जनता पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1139, दिनांक 16 जुलाई, 1974 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जनता पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522-Z)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/320.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा संगम पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1128, दिनांक 22 फरवरी, 1974 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये संगम पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/321.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा फ्रेण्डस पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1078, दिनांक 5 फरवरी, 1973 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये फ्रेण्डस पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-A)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/322.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा ताती पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1083, दिनांक 20 फरवरी, 1973 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ताती पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-B)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/323.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री गणेश पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./847, दिनांक 17 दिसम्बर, 1984 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री गणेश पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-C)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/324.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा किरण पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1328, दिनांक 16 मार्च, 1984 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये किरण पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-D)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/325.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा मारुती पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1249, दिनांक 5 सितम्बर, 1981 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मारुती पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-E)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/326.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अनु. जाति निधी. पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2000, दिनांक 24 जनवरी, 2007 को

लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अनु. जाति निधी. पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-F)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/327.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा राजकमल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1373, दिनांक 18 मार्च, 1966 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये राजकमल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-G)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/328.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा मस्तुरी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1398, दिनांक 19 सितम्बर, 1988 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मस्तुरी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-H)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/329.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा पारस पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1937, दिनांक 19 सितम्बर, 1998 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये पारस पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-I)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/330.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा दि. बुरहानपुर रोप मेन्यू फेक्चरिंग हैण्डलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./321, दिनांक

5 मई, 1945 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये दि. बुरहानपुर रोप मेन्यू फेक्चरिंग हैण्डलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-J)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/331.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा कल्पना कॉटन विर्व्स बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1140, दिनांक 1 मई, 1974 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये कल्पना कॉटन विर्वस बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-K)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/332.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रशिक्षित महिला हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./44, दिनांक 15 मई, 1989 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्रशिक्षित महिला हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-L)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/333.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा इंडिया पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./. . . . . . , दिनांक . . . . को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये इंडिया पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-M)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/334.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा एमागींद पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./640, दिनांक 25 फरवरी, 1997 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये एमागींद पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-N)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/336.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सहयोग पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1705, दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सहयोग पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-O)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/337.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा रिजनेबल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1703, दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये रिजनेबल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-P)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/338.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा नटराज पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1990, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये नटराज पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-Q)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/339.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अमृत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1709, दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अमृत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-R)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/340.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा पुजा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1711, दिनांक 30 अक्टूबर, 1997 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये पुजा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-S)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/341.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सुरभी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1714, दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सुरभी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-T)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/342.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा बादल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1715, दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये बादल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-U)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/343.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा हर्षा सिद्धी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1717, दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये हर्षा सिद्धी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-V)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/344.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जय अम्बे पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1718, दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जय अम्बे पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-W)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/345.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा पद्मिनी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1720, दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये पद्मिनी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-X)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/346.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा दर्पण पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1724, दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये दर्पण पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-Y)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/347.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सहारा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1725, दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सहारा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523-Z)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/335.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा पाकीजा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./579, दिनांक 29 मार्च, 1996 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये पाकीजा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/348.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा मोती पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1730, दिनांक 2 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मोती पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-A)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/349.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सम्राट पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1735, दिनांक 5 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सम्राट पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-B)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/350.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा हीना पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1734, दिनांक 5 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये हीना पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-C)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/351.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जिया पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1735, दिनांक 5 नवम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जिया पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-D)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/352.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा मानसी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1740, दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मानसी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-E)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/353.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री महाकाल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1741, दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री महाकाल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-F)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/354.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा नवदुर्गा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1742, दिनांक 23 . . . . . , 1999 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये नवदुर्गा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-G)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/355.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा ताजबाग पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1743, दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ताजबाग पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-H)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/356.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा पुष्पा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1748, दिनांक 7 फरवरी, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये पुष्पा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-I)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/357.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा नाज पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1750, दिनांक 7 फरवरी, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये नाज पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-J)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/358.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जीनत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1755, दिनांक 8 मार्च, 2000 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जीनत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-K)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/359.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा राजरतन पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1758, दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये राजरतन पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-L)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/360.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा स्वास्तिक पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1759, दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये स्वास्तिक पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-M)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/361.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्रद्धा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1761, दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्रद्धा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-N)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/362.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अंबिका पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1764, दिनांक 21 मई, 2000 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अंबिका पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-O)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/363.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा शिव सागर पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1765, दिनांक 22 मई, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शिव सागर पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-P)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/364.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अमर पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1766, दिनांक 25 मई, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अमर पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-Q)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/365.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा तुलसी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1774, दिनांक 9 अगस्त, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये तुलसी पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-R)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/366.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा साईं कृपा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1781, दिनांक 9 अगस्त, 2000 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये साईं कृपा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-S)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/367.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा शालीमार पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1783, दिनांक 9 अगस्त, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शालीमार पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-T)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/368.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जीवन ज्योति पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1791, दिनांक 17 अगस्त, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जीवन ज्योति पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524- U)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/369.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा ग्रेट इंडिया पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1809, दिनांक 15 फरवरी, 2001 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ग्रेट इंडिया पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-V)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/370.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा महात्मा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1810, दिनांक 15 फरवरी, 2001 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये महात्मा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-W)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/371.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा राज पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1813, दिनांक 16 फरवरी, 2001 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये राज पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-X)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/372.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा योगेश्वर पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1884, दिनांक 5 मार्च, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये योगेश्वर पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-Y)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/373.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा हर्ष पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1903, दिनांक 16 फरवरी, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये हर्ष पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524-Z)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/374.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा चायना पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1902, दिनांक 27 फरवरी, 2004 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चायना पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/375.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अभिषेक पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1958, दिनांक 21 मार्च, 2006 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अभिषेक पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-A)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/376.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा ब्रहमा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1966, दिनांक 26 जून, 2006 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ब्रहमा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-B)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/377.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा चन्द्रकला पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1980, दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चन्द्रकला पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-C)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/378.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा महाकाल यार्न एवं कपड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1982, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006

को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये महाकाल यार्न एवं कपड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-D)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/379.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा हरियाणा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1991, दिनांक 4 जनवरी, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये हरियाणा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-E)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/380.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा रत्नेष पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2080, दिनांक 3 अगस्त, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये रत्नेष पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-F)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/381.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा कारगिल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2012, दिनांक 27 जून, 2008 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये कारगिल पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-G)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/382.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा ओम पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2131, दिनांक 4 अप्रैल, 2009 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ओम पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-H)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/383.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ शारदा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2140, दिनांक 3 अगस्त, 2009 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ शारदा पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525-I)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/384.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रोग्रसीव पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./03, दिनांक 22 फरवरी, 2011 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ प्रोग्रसीव पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(525-J)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर के पत्र क्र./182, दिनांक 01 मार्च, 2013 एवं 227, नरसिंहपुर, दिनांक 11 मार्च, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित परिसमापनाधीन समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, धमना	299/09-11-1987	733 ए /28-06-2010
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, लोकीपार	306/09-11-1987	733 ए /28-06-2010
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, धुवघट	338/24-11-1988	733 ए /28-06-2010
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, डांगीठाना	291/03-11-1987	733 ए /28-06-2010
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, खुरपा	300/09-11-1987	733 ए /28-06-2010
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, खमतरा	304/09-11-1987	733 ए /28-06-2010
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, बहोरीपार	377/20-11-1989	733 ए /28-06-2010
8.	शेड कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति, चिरचिटा	165/04-08-1977	733 ए /28-06-2010
9.	श्रम ठेका सहकारी समिति, नरसिंहपुर	405/04-01-1996	733 ए /28-06-2010
10.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति, सूखा खेरा	201/29-12-1988	733 ए /28-06-2010
11.	कर्मचारी साख कल्याण सहकारी समिति, नरसिंहपुर	466/03-07-2013	733 ए /28-06-2010
12.	जिला शिक्षक कल्याण सहकारी समिति, नरसिंहपुर	11/1977	182/01-03-2013
13.	कल्याण महिला औद्योगिक सहकारी समिति नरसिंहपुर	594/28-03-2006	227/11-03-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम क्रमांक 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण -पत्र के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा, संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

ए. के. चौधरी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(495)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 11 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/223.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/945, बड़वानी, दिनांक 28 जनवरी, 2009 के द्वारा पींक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, सेगवाल, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 29, दिनांक 30 अगस्त, 2001 है को मध्यप्रदेश

सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, श्री जी. एस. तरोले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, बड़वानी के संशोधित आदेश क्रमांक/611, दिनांक 07 अगस्त, 2012 संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसचूना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करती हूँ.

आज दिनांक 11 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(496)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/852.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/132-15, बड़वानी, दिनांक 28 जून, 2006 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खडकी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयक क्रमांक 1105, दिनांक 16 जनवरी, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रदीप रावत, व. स. नि., बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसचूना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करती हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(496-A)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/853.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/132-3, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2006 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिपानी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1101, दिनांक 16 जुलाई, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आर. के. महाजन, विस्तार पर्यवेक्षक, बड़वानी को आदेश क्र./परि./469, दिनांक 16 जुलाई, 2013 संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था की स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसचूना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करती हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(496-B)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/854.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/............., बड़वानी, दिनांक............. के द्वारा चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, सिलावद, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयक क्रमांक 606, दिनांक 19 जून, 1957 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री एस. एस. चौहान, सहकारी निरीक्षक, बड़वानी को आदेश क्र./परि./416, दिनांक 22 जून, 2010 संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था की स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करती हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(496-C)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/851.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/981, बड़वानी, दिनांक 28 जनवरी, 2009 के द्वारा ग्रामीण महिला बहु. सह. संस्था मर्या., फत्यापुर, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयक क्रमांक 163, दिनांक 02 जनवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि., बड़वानी को आदेश क्र./परि./611, दिनांक 07 अगस्त, 2012 संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था की स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करती हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मीना डावर,
सहायक पंजीयक.

(452-D)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2001/1037, दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 द्वारा बिरसिंहपुर, कालरी कर्मचारी थ्रिप्ट क्रेडिट सहकारी समिति मर्या., पाली, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्र./561, दिनांक 08 फरवरी, 1966 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड पाली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन परीक्षण उपरान्त संस्था के परिसमापनक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(497)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	शासकीय पोलीटेक्निक प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., नौगाँव	270/05-03-1964	2466/02-12-2013
2.	प्रियंका महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बारी	869/26-10-1999	2412/27-11-2013
3.	गुलसन महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., गढ़ीमलहरा	867/26-10-1999	2414/27-11-2013
4.	माँ वैष्णो प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., गढ़ीमलहरा	1207/01-10-2008	2413/27-11-2013
5.	मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बारी	41/01-08-1987	2415/27-11-2013
6.	प्राथ. साख सह. समिति मर्या., नयागाँव	1069/18-05-2005	2493/02-12-2013
7.	कृष्णा बुनकर सह. समिति मर्या., कैमहा	165/01-02-1990	2494/02-12-2013
8.	हरिओम बुनकर सह. समिति मर्या., चुरयारी	28/09-09-1989	2495/02-12-2013
9.	लोकनायक बुनकर सह. समिति मर्या., परेथा	426/13-06-1979	2496/02-12-2013
10.	सुमित्रा महिला उद्योग सह. समिति मर्या., रानीपुरा	1120/23-08-2007	2474/02-12-2013
11.	सिद्धी विनायक ऑफसेट मुद्रणालय एवं सप्लायर, हरपालपुर	1206/01-10-2008	2442/29-11-2013
12.	डॉ. अम्बेडकर मुर्गी एवं पशुपालन सह. समिति मर्या., महाराजपुर	1232/02-03-2009	2443/29-11-2013
13.	एम. के. नागरिक सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर	1049/27-09-2004	2441/29-11-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उनका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

जे. एस. यादव,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(498)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 24 जून, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1743.—शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., लोहार्दा, तहसील कन्नौद, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 224, दिनांक 1972 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 1112/1564, दिनांक 16 अप्रैल, 2013/28 मई, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 17 जून, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 21 जून, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. देन्देलिया, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री डी. के. देन्देलिया, सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(500)

देवास, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/2477.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 26, दिनांक 03 जनवरी, 2012 के द्वारा मालवा हस्त शिल्प सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 798, दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एस. तिवारी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(500-A)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2266, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 के द्वारा चर्मकार (शोशक) सहकारी संस्था मर्या., सुनवानी गोपाल, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 61, दिनांक 10 मार्च, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गोसाईं, S.A., को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(500-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	मार्डन इण्डस्ट्रीज को. आपरेटिव सोसायटी लिमि. देवास	स.प.दे 68/31-12-2008	. .

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 02.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में देर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां वोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

आय. एम. कुरैशी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(501)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडीचुरालाय	435/03-06-1982	2262/07-08-2010

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 02.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाब्रजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में देर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां वोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

प्रेरणा जोमेकर,
परिसमापक.

(502)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़, तहसील व जिला देवास

दिनांक 29 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1982 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, देवास, जिला देवास के आदेश क्रमांक/परि./2013/1123, देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़, तह. व जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 16 मई, 1990 है, को परिसमापन में लाया जाकर मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, सी. डब्ल्यू. पवार, परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़, तह. व जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में, बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

साथ में यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व स्वयं का होगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

सी. डब्ल्यू. पवार,
परिसमापक.

(503)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थरवर

दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थरवर, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1338, दिनांक 28 जून, 2003 है को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1104, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लिया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारें से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(504)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढकलगांव

दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढकलगांव, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1333, दिनांक 31 मार्च, 2003 है को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1096, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लिया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(504-A)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोगरगांव

दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोगरगांव, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1343, दिनांक 28 जून, 2003 है को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1099, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लिया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(504-B)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर

दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1364, दिनांक 16 फरवरी, 2004 है को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1102, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लिया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(504-C)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलगांव

दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलगांव, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1325, दिनांक 23 अगस्त, 2002 है को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1095, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लिया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

एस. एस. मण्डलोई,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(504-D)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नाया, तहसील बडवाह, जिला खरगोन

दिनांक 24 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नाया, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1308, दिनांक 15 जनवरी, 2002 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/179, खरगोन, दिनांक 01 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नाया, तहसील बडवाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि के दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 24 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(505)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुम्भ्या, तहसील बडवाह, जिला खरगोन

दिनांक 24 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी)(ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुम्भ्या, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1322, दिनांक 26 मार्च, 2002 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/179, खरगोन, दिनांक 01 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी) (ग) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुम्भ्या, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 24 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(505-A)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सताजना, तहसील बडवाह, जिला खरगोन

दिनांक 24 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी)(ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सताजना, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1321, दिनांक 26 मार्च, 2002 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/179, खरगोन, दिनांक 01 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं निमय 1962 के नियम 57 (सी) (ग) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सताजना, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 24 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(505-B)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमलाथा, तहसील बडवाह, जिला खरगोन

दिनांक 24 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी)(ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमलाथा, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1473, दिनांक 13 जनवरी, 2006 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/179, खरगोन, दिनांक 01 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी) (ग) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमलाथा, तहसील बडवाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 24 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(505-C)

कार्यालय परिसमापक, न्यू कावैरी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरला, तहसील बडवाह, जिला खरगोन

दिनांक 24 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी)(ग) के अन्तर्गत]

न्यु कावेरी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सेमरला, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1211, दिनांक 25 फरवरी, 1999 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/179, खरगोन, दिनांक 01 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी) (ग) के अंतर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक न्यू कावैरी कामगार करीगर सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरला, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 24 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

एच. सी. यादव,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(505-D)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजलवाडा

दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजलवाडा, तहसील बडवाह जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1332, दिनांक 31 मार्च, 2003 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1319, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(506)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दौरी

दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनदौरी, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1490, दिनांक 28 जुलाई, 2006 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1318, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(506-A)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ठनगाँव

दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठनगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1487, दिनांक 28 जुलाई, 2006 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1329, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(506-B)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काटकुट

दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काटकुट, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1339, दिनांक 31 मार्च, 2003 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1339, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(506-C)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जलज्योति

दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलज्योति, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक एन. एम. आर. (के. आर. जी. एन.) 1287, दिनांक 06 जून, 2001 है, को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक परि./1232, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (सी/ग) के अन्तर्गत मैं, एस. एस. चौहान, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलज्योति उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(506-D)

कार्यालय परिसमापक, प्रज्ञा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बलकवाड़ा

दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

प्रज्ञा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक एन. एम. आर. (के. आर. जी. एन.) 1379, दिनांक 26 मार्च, 2002 है, को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक परि./1236, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (सी/ग) के अन्तर्गत मैं, एस. एस. चौहान, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहाकारी संस्था मर्या., बलकवाड़ा उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

एस. एस. चौहान,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(506-E)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, मेथावा

दिनांक 15 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., मेथावा, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 707, दिनांक 05 अक्टूबर, 1983 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक 804, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 15 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(507)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, बलवाडा

दिनांक 15 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., बलवाडा, तहसील बडवाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 08 फरवरी, 1986 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक 804, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 15 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(507-A)

कार्यालय परिसमापक, माँ मेकाल खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, कटघडा

दिनांक 15 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ मेकाल खनिज सहकारी संस्था मर्या., कटघडा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 24 अप्रैल, 1999 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक 1687, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(507-B)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, सिरलाय

दिनांक 15 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., सिरलाय, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 560, दिनांक 06 मार्च, 1981 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक 804, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(507-C)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, सेल्दा

दिनांक 15 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., सेल्दा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 633, दिनांक 20 दिसम्बर, 1983 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक 477, दिनांक 28 फरवरी, 2002 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 15 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(507-D)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, रूपाला

दिनांक 15 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., रूपाला, तहसील ...., जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 651, दिनांक 31 अक्टूबर, 1997 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन के आदेश क्रमांक 804, दिनांक 07 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि

हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 15 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

एस. आर. कोचले,
परिसमापक.

(507-E)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिलाली, तहसील गोगावां, जिला खरगोन

दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिलाली, तहसील गोगावां, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1080, दिनांक 26 जनवरी, 1997 है, को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1324, खरगोन, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (सी) (ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गोगावां एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिलाली, तहसील गोगावां, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

मनोहर वास्कले,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(508)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2014-आषाढ़ 6, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, पोहरी (शिवपुरी), राघौगढ़, बमोरी, आरोन, चाचौड़ा (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), लवकुश नगर, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामलहरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), पन्ना, पवई, शाहनगर (पन्ना), त्यौथर, सिरमोर, मऊगंज, हजूर, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), ब्यौहारी, जैसिंहनगर (शहडोल), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, धुन्धड़का, सीतामऊ, श्यामगढ़, कयामपुर, संजीत (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, तराना, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, शाजापुर, गुलाना (शाजापुर), थांदला, मेघनगर, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई (विदिशा), सीहोरा, मझौली (जबलपुर), घुघरी (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील घाटीगांव (ग्वालियर), कोलारस, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, कुंभराज (गुना), ओरछा (टीकमगढ़), अजयगढ़ (पन्ना), हनुमना (रीवा), कोतमा (अनूपपुर), सिंहावल (सीधी), घटिया, बड़नगर (उज्जैन), शुजालपुर (शुजालपुर), बासौदा, नटेरन, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), बैतूल, मुलताई (बैतूल), पाटन, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, नारायणगंज (मण्डला), चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील जैतपुर, गोहपारू (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), पाली (उमरिया), उज्जैन (उज्जैन), कालापीपल (शाजापुर), विदिशा (विदिशा), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचौली, आठनेर, आमला (बैतूल), मण्डला (मण्डला), सोंसर, पांढुर्णा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील सोहागपुर, बुढ़ार (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), डिण्डोरी (डिण्डोरी), जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, रीवा में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला बुरहानपुर में तेज हवा पानी से रबी फसलों को नुकसान व मण्डला में ओले गिरने से मटर, मसूर फसलों को 10 से 15 प्रतिशत की क्षति हुई है.

5. **कटाई.**—जिला धार व हरदा में फसल गेहूँ, चना तथा सीहोर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	8.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	3.0				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	7.6		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	7.0				
4. घाटीगांव	18.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	8.0		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	10.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	15.0				
4. नरवर	4.0				
5. करैरा	11.0				
6. कोलारस	29.0				
7. पोहरी	6.0				
8. बदरवास	29.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	20.0		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	18.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	33.0				
4. चन्देरी	25.0				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	22.4		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, . .	8. . .
2. राघौगढ़	13.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	7.0				
4. आरोन	13.0				
5. चाचौड़ा	5.0				
6. कुम्भराज	24.0				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	8.0		4. (1) तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	10.0				
4. टीकमगढ़	5.0				
5. बल्देवगढ़	11.0				
6. पलेरा	10.0				
7. ओरछा	24.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	15.0		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	14.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	14.0				
4. छतरपुर	14.0				
5. राजनगर	13.0				
6. बिजावर	12.0				
7. बड़ामलहरा	11.0				
8. वक्स्वाहा	12.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	34.0		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, चना, सोयाबीन, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मूँगतिल, गेहूं, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	7.0		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	6.0				
5. शाहनगर	8.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, तुअर, गेहूँ चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	8.0		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी कम. अरहर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	8.0		(2) . .		
3. मऊगंज	10.0				
4. हनुमना	17.6				
5. हजूर	16.0				
6. गुढ़	15.0				
7.रायपुरकर्चुलियान	15.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	54.0		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	14.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	8.0				
4. जैतपुर	37.0				
5. बुढ़ार	70.5				
6. गोहपारू	47.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	37.5		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	48.1		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. कोतमा	24.6				
4. पुष्पराजगढ़	63.2				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	4.4		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	40.0		(2) . .		
3. मानपुर	7.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	16.4		4. (1) अलसी, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	18.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	1.0				
4. कुसमी	10.0				
5. चुरहट	4.0				
6. रामपुरनैकिन	6.5				
जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. राई-सरसों, अलसी, मटर, चना, जौ, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना-अधिक. रायडा-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	16.4		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	5.0				
4. गरोठ	10.2				
5. मन्दसौर	12.0				
6. धुन्धड़का	2.0				
7. सीतामऊ	11.4				
8. श्यामगढ़	8.4				
9. कयामपुर	4.0				
10. संजीत	15.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	14.0		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	15.0		(2) . .		
3. तराना	16.0				
4. घटिया	30.0				
5. उज्जैन	35.0				
6. बड़नगर	33.0				
7. नागदा	6.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	9.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	13.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	24.0				
4. कालापीपल	42.0				
5. गुलाना	2.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	2.6		4. (1) गेहूँ, चना, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	10.4				
5. राणापुर	3.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. कट्‌ठीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) चना, गन्ना अधिक. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्थान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला पूर्व-निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तेज हवा, पानी से रबी फसलों को क्षति हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	15.8		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	15.2		(2) . .		
3. नेपानगर	12.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	17.0		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	14.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कुरवाई	17.0				
4. बासौदा	26.6				
5. नटेरन	29.0				
6. विदिशा	50.0				
7. गुलाबगंज	24.0				
8. ग्यारसपुर	27.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	51.0		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोडाडोंगरी	36.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	42.0				
4. चिचोली	44.9				
5. बैतूल	22.7				
6. मुलताई	32.5				
7. आठनेर	36.3				
8. आमला	43.0				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर,मसूर मूंगमोठ, तुअर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. गेहूँ एवं चने की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	15.4		4. (1) गेहूँ चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	18.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	18.5				
4. मझौली	1.0				
5. कुण्डम	28.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों, मटर, जौ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर बिगड़ी हुईं फसल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ओले गिरने से मटर फसलों को 10 से 15% क्षति हुई है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	26.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	22.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	33.7				
4. मण्डला	36.9				
5. घुघरी	16.4				
6. नारायणगंज	30.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	85.3		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	14.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) गेहूँ चना, मसूर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	56.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	36.8				
6. पांढुर्णा	40.8				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	22.6				
9. बिछुआ	..				
10. हर्रई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन,तिल, सन, लाख, तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला भिण्ड, सतना, देवास, बड़वानी, खण्डवा, राजगढ़, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(514)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.